न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 12/2019 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2019/00012)

राकेश कुमार गोदारा पुत्र भागीरथ जी गोदारा जाति गोदारा जाट, निवासी 5 के के डब्ल्यू, वीपीओ रोडावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ

अपीलान्ट

बनाम

1. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ।
2. शान्तिदेवी पत्नी श्री रामप्रताप जाति जाट साकिन रोडावाली तहसील व जिला हनुमानगढ (मृतक)
3. बलवंतसिह पुत्र श्रीरामप्रताप जाति जाट साकिन रोडावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
4. कमला पुत्री श्रीरामप्रताप जाति जाट साकिन रोडावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
5. साहबराम पुत्र श्रीरामप्रताप जाति जाट साकिन रोडावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः 1. श्री सुरेश मोहता – अभिभाषक अपीलान्ट
2.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक
अनुपस्थितः 3. श्री विकास कुमार विश्नोई – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 3 ता 5

निर्णय **दिनांकः 25.01.2023**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 22.04.2019 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 5 साहबराम ने नामान्तरण सं. 131 दिनांक 02.06.2005 चक 5 के के डब्ल्यू रोड़ावाली के विरूद्व अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ मे अपील पेश कर नामान्तरण सं. 131 दिनांक 02.06.2005 चक 5 के के डब्ल्यू पटवार मण्डल रोड़ावाली में संशोधन कर प. नं. 118/209 किला नं. 1/2 में 0.018 है. रास्ता के स्थान पर चक 5 के के डब्ल्यू पं. नं. 118/209 किला नं. 1/1 में 0.013 है. रास्ता दर्ज करने का आदेश देने का निवेदन किया, जिस पर अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 22.04.2019 अपील स्वीकार कर इन्तकाल सं. 131 स्वीकृति दिनांक 02.06.2005 अपास्त कर प्रकरण

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

तहसीलदार हनुमानगढ को प्रति प्रेषित कर उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 04.5.05 व पत्राक 268 दिनांक 09.5.05 के अनुसार विधि अनुसार इन्तकाल दर्ज करने की कार्यवाही के निर्देश दिये। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से राजपैरोकार उपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं. 3 ता 5 के अभिभाषक बहस के दौरान अनुपस्थित रहें।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट सं. 5 साहबराम ने इन्तकाल संख्या 131 दिनांक 02.06.2005 पर आपत्ति करते हुए मियाद बाहर अपील पेश की, और कथन किया कि उक्त इन्तकाल उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ के आदेश दिनांक 04.05.2005 के आधार पर दर्ज हुआ, जो गलत दर्ज हुआ है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त इन्तकाल निरस्त करते हुए सीधे तहसीलदार हनुमानगढ को रिमाण्ड कर विधि अनुसार इन्तकाल दर्ज करने की कार्यवाही की करने का आदेश दिया। जिस पर रेस्पोडेन्ट सं. 2 ता 5 द्वारा अपीलान्ट को यह कहते हुए धमकी दी कि दो दिन के अन्दर अन्दर वे अपीलान्ट की कृषि की जा रही जमीन में से रास्ता निकलवा लेगे। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व ना तो चक 5 के के डब्ल्यू के पत्थर नं. 117/209 के किला नं. 1 खातेदारो को सुना नही, ना ही पक्षकार बनया, ना ही इस बात की कोई जांच की मौजूदा रिकार्ड में कौन –कौन खातेदार दर्ज रिकार्ड है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट सं. 2, 3, 4 के रूप में अपने ही परिवार के लोगो को पक्षकार बनाया, जिन्होने अपीलान्ट की अपील का समर्थन कर दिया, सारी कार्यवाही मिलीभगती व दुरभिसंधि करके की गई। विवादित कृषि भूमि अपीलान्ट के खातेदारी मे पिछले काफी सालो से अर्थात करीब 5 वर्ष से कब्जा काश्त में है तथा खाता विभाजन भी दर्ज हो चुका है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 22.04.2019 गलत, खिलाफ कानून, तथा प्राकृतिक न्याय के

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

सिद्धान्तो के खिलाफ है। इसके अलावा रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में 13 साल बाद अत्यधिक विलम्ब से अपील पेश की गई जो पूर्णतया मियाद बाहर थी। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर कोई निर्णय पारित नही किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दौराने अपील रेस्पोडेन्ट सं. 2 शान्तिदेवी का भी देहावसान हो चुका था, बावजूद आवेदन के शातिदेवी का नाम कलमजन नही किया गया, तथा मृतक व्यक्ति की ओर से बहस अंकित कर दी। रिमाण्ड प्रकरण में तहसीलदार हनुमानगढ ने विधिवत सुनवाई करने के स्थान पर सीधे ही इन्तकाल की कार्यवाही शुरू कर दी है जबकि मौका पर अपीलान्ट की कब्जा काश्त की कृषि भूमि है। अपीलान्ट की मुताबित जमाबन्दी व इन्तकाल मुरब्बा नं. 118/209 के किला नं. 1/1 मे 0.013 हैक्टैयर कृषि भूमि है जिस पर रास्ता के रूप में इन्तकाल दर्ज किये जाने पर आमदा है। जबकि मूल आदेश भी मात्र 12 फुट भूमि को ही रास्ता कहा गया है जबकि मौका पर अपीलान्ट की सारी ही 1/1 की भूमि जो 0.013 हैक्टैयर भूमि हे को रास्ता माना जा रहा है। अपीलान्ट के हित विपरित रूप से प्रभावित हो रहे है तथा अपीलान्ट को सुना जाना न्यायहित मे आवश्यक है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 22.04.2019 निरस्त किया जावे।

5. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रस्तुत अपील अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 22.04.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई जो कि तहसीलदार हनुमानगढ के द्वारा स्वीकृत चक 5 के केडब्ल्यू पत्थर नं. 118/209 के किला नं. 1 में 0.013 में नामान्तरण सं. 131 दिनांक 02.06.2005 दर्ज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय नामान्तरण सं. 131 में ओवरराईटिग के कारण सन्देहास्पद मानते हुए प्रकरण को रिमाण्ड किया गया है, जबकि अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 04.05.2005 में स्वीकृत 12

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

फिट चौड़ा रास्ता कायम करने के मध्यनजर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का निवेदन किया है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 22.04.2019 में प्रकरण को प्रति प्रेषित करते हुए उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 04.05.2005 के सम्बन्ध में कोई निर्देश नही दिये है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुवे अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.04.2019 एवं नामान्तरण सं. 131 दिनांक 02.06.2005 को अपास्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार हनुमानगढ को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता हे कि प्रकरण में उभय पक्ष को सुनकर, उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 04.05.2005 के (According) अनुसार निर्णय पारित करे।

7. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 25.01.2023 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर